

तारीख
हुक्म

2016/12/25

4/18/15

27/9/25

वकील यादी / अनु. पत्रावली / आज इस प्रकार प्रस्तावकी पूरा प्रस्तावकी को पेश है।

वादी / पत्रावली / आज इस प्रकार प्रस्तावकी पूरा प्रस्तावकी को पेश है।

पत्रावली पूरा प्रस्तावकी को पेश है।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत दिनांक 21.12.2015 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली दिनांक 16.03.2016 से बहस प्रार्थना पत्र के स्तर पर जैरकार है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस नहीं जा रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा की आवश्यकता नहीं है। चूंकि प्रकरण दिनांक 21.12.2015 से न्यायालय में लम्बित है। वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये जाने के उपरांत 10 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र मत में जबकि प्रार्थी स्वयं की रुचि स्थगन प्रार्थना पत्र में नहीं है, हम उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना न्यायोचित पाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।



उपखण्ड जजिका
बोर्ड

समक्ष

प्रार्थना

1-